Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 5 | ISSUE : 10 | OCTOBER 2019

अलवर शहर के बाल श्रमिकों की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन

मीनू तंवर [1]

[1] व्याख्याता (समाजशास्त्र), चौ. बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ABSTRACT:

KEYWORDS:

परिचयः

भारत का भविष्य बच्चों में निहित है। बच्चे किसी देश के भावी संसाधन और उसका भविष्य होते है, बच्चे देश के कर्णधार और परिवार की धरोहर हैं, परन्तु निरन्तर कल्याणकारो योजनाओं, विधि निर्माण, प्रशासनिक कार्य के उपरान्त भी आज हमारे देश में बडो संख्या में बच्च अपने भविष्य को भूल कर बाल मज़दूरी करने को मज़बूर हैं।

बाल श्रम का अर्थ एवं परिभाषा :

- **अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार,** "कोई बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है और वह किसी उत्पादन कार्य में लगा हुआ है, वह बाल श्रमिक कहलाता है"।
- **कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार,** "14 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने से पूर्व जिन बालकों को किसी उद्योग या रोज़गार में लगाया जाता है वे बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं।

बाल श्रम की कुप्रथा किसी भी राष्ट्र के लिए नासूर से कम नहीं होती । यह हमारी विडंबना है कि हम विश्व में अधिकतम बाल श्रमिकों की संख्या वाले कुछ देशों में से एक है। देश ही नहीं पडोसी देश नेपाल से प्रतिवर्ष बच्चे 'ट्रैफिकिंग' के घृणित अपराध के जरिये भारत में लाए जाते हैं और बाल श्रम मे झोंक दिए जाते हैं। यही नहीं तस्कर उन्हें दुनिया के अन्य देशों में भी बंधुआ मज़दूरी के लिये ले जाते ह। बाल श्रम दरअसल एक प्रथा या रोज़गार का साधन मात्र नहीं है। यह एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है जिसकी जड हमारी व्यवस्था में गहरो पैठ बना चुकी है। निर्धनता, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, परिवारों का बडा आकार, कुछ ऐसे कारण हैं जा बाल श्रम उन्मूलन के रास्ते मे आडे आते हैं। कई बच्चों वाले निर्धन परिवारों के सामने अपनी जीविका चलाने के लिए अपने मासूम बच्चों से काम करवाने के अतिक्ति कोई विकल्प नहीं बचता। परिवार के लिए रोटी जुटाने की मज़बूरी ऐसे मज़बूर बच्चों को उनके बचपन से मीला दूर ले जाती है।

कल–कारखानों, घरों, ढाबों व अन्य स्थलों पर कठोर श्रम करते हुए ये बच्चे शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन यहाँ तक कि स्वस्थ जीवन से भी वंचित हो जाते हैं। उनके अभिभावकों का उद्देश्य उन्हें बचपन में ही हुनरमंद बनाकर परिवार का सहारा बनाना होता है, मगर ऐसे अभिभावक स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चों को मज़दूरी के दलदल म धकेल उन्हें जीवनभर के लिए मज़बूर कर देते हैं।

शोध कार्य के उद्देश्य :

1 अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रमिकों की स्थिति तथा उनके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करना।

2 बाल श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानो का अध्ययन करना।

3 अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रमिकों से उत्पन समस्याओं और भावी विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध कार्य की परिकल्पनाएं :

1 अध्ययन क्षेत्र में जो परिवार ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों मे बाल श्रमिको की संख्या अधिक पाई जाती है।

2 जिन परिवारों में बच्चों के माता–पिता अशिक्षित है या उनकी शिक्षा का स्तर प्राथमिक तक है, उन परिवारो मे बाल श्रमिकों का प्रतिशत अधिक हैं।

3 अध्ययन क्षेत्र में बढ़ते नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण बाल श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ रही है।

विधितन्त्र एवं आंकडों का संकलन :

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक व द्वितीयक दोना प्रकार के आकडों का प्रयोग किया गया ह, प्राथमिक आकडों का संकलन अध्ययन क्षेत्र में आनुभविक एवं प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है, जबकि द्वितीयक आकडों का संकलन सरकारी और गैर–सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं एवं रिपोर्टों द्वारा किया गया हैं। द्वितीयक आकडों के प्राप्ति स्रोत–

1 भारतीय जनगणना, B-series वर्ष 2009–2011

2 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)

3 सूचना केन्द्र, अलवर

4 जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, अलवर।

बाल श्रमिकों के प्रकार :

भारत में बाल श्रमिक विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, कार्यों की प्रकृति अनुसार इनको निम्न प्रकारों में बाँटा गया है :

1. **घरेलू बाल श्रमिक**
2. **बन्धुआ बाल श्रमिक** : बाल श्रमिक कानून 1933 के अनुसार बच्चे जिन्हें उनके माता–पिता द्वारा फैक्ट्री के मालिकों या उनके ऐजेन्टों को कुछ राशि के लिए बेच दिया जाता है। ये कृषि क्षेत्रों, कालीन बनाई, बीडो बनाई, रेशम उद्योगों आदि में कार्य करते हैं।
3. **सैक्सुअल कार्यों में लगे बाल श्रमिक,** विशेषतः लडकियाँ।
4. **कृषि तथा औद्योगिक बाल श्रमिक**
5. **गली बाल श्रमिक** : शहरों तथा कस्बों की गलियों में कार्य करने वाले, बस तथा रेलों में, शॉपिंग सेंटरों में तथा कचरा इकट्ठा करने वाले बालश्रमिक।
6. **परिवार के लिए कार्य करने वाले बाल श्रमिक।**

अलवर शहर में बाल श्रम की स्थिति :

राजस्थान में सर्वाधिक बाल श्रमिक अलवर जिले मे ही है। अलवर दिल्ली के नज़दीक है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है और यहां तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ है जिस कारण भी बाल श्रमिको की संख्या में

वृद्धि हुई है।

2011 की जनगणनानुसार 5–9 आयु वर्ग में अलवर के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 50679 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 27634 तथा महिलाओं की संख्या 23045 है। इस वर्ग में कुल श्रमिकों की संख्या 373 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 250 है जो कुल श्रमिकों का 67 प्रतिशत है, तथा महिलाओं की संख्या 123 है जो कुल श्रमिकों का 33 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग में प्रति हजार जनसंख्या पर श्रमिकों की संख्या 7 है, पुरुषों मे यह 9 तथा महिलाओं में 5 है।

10–14 आयु वर्ग में अलवर के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 52101 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 28218 तथा महिलाओं की संख्या 23883 है। इस आयु वर्ग म कुल श्रमिकों की संख्या 1073 है जो कुल जनसंख्या का 2.05 प्रतिशत है, कुल श्रमिकों में 64.4 प्रतिशत पुरुष तथा 31.6 प्रतिशत महिलाएं ह। इस आयु वर्ग में प्रति हजार जनसंख्या पर श्रमिकों की संख्या 21 है, पुरूषों में यह 26 तथा महिलाओं में 14 है।

अलवर शहर में विभिन्न आयु समूहों में बाल श्रम, 2011

आयु वर्ग	कुल जनसंख्या			थ्लंगानुपात	कुल श्रमिक
	कुल	पुरूष	महिला		
कुल	434939	236984	197955	835	121449
5–9	50679	27634	23045	834	373
10–14	52101	28218	23883	846	1073

Data source: b-series census of India, 2011

अलवर शहर में विभिन्न आयु वर्गों में बाल श्रम, 2011

आयु वर्ग	कुल श्रमिक		पुरूष		महिला		कुल श्रम में पुरूषों का प्रतिशत	कुल श्रम में महिलाओं का प्रतिशत
	कुल श्रमिक	प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति	कुल श्रमिक	प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति	कुल श्रमिक	प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति		
कुल	121449	279	107050	452	14399	73	88	12
5.9	373	7	250	9	123	5	67.0	33.0
10.14	1073	21	734	26	339	14	68.4	31.6
5.14 (कुल)	1446	14	948	18	462	10	68.0	32.0

Data Source b-series census of India, 2011

अलवर शहर मे कुल बाल श्रमिकों में महिला और पुरूषो की स्थिति, 2011

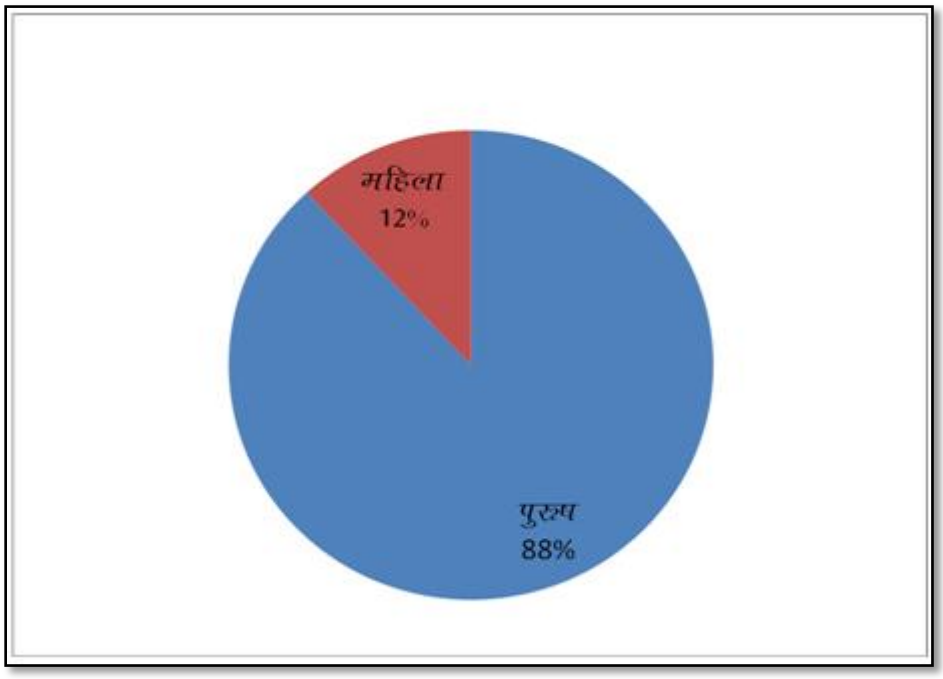

5 –14 आयु वर्ग में कुल जनसंख्या 102780 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 55852 तथा महिलाओं की संख्या 46928 है। इस आयु वर्ग में लिंगानुपात 840 है, जो कि कम है। इस वर्ग में कुल मुख्य श्रमिकों की संख्या 1446 है, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 68 तथा महिलाओं का प्रतिशत 32 है। इस आयु समूह में प्रति हजार जनसंख्या पर श्रमिकों की संख्या 14 है। पुरुषों में यह 18 तथा प्रति हजार जनसंख्या पर महिला श्रमिकों की संख्या 10 है। अलवर नगरीय क्षेत्र में 5–14 आय समूह की जनसंख्या का 1.40 प्रतिशत भाग बालश्रम में लगा हुआ है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा पूरे भारत में विभिन्न आयु समूहों

में प्रतिचयन के आधार पर रोज़गार सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित किए गए। इनमें प्रतिचयन के आधार पर परिवारों का चयन किया गया, जिनम बाल श्रम सम्बन्धित आँकड़े भी एकत्रित किए गए। NSSO (National Sample Survey Organisation) के अनुसार अलवर शहरी क्षेत्र में बाल श्रम की स्थिति इस प्रकार है :

Usual Principal activity status	Frequency	Percent	Male	Female
Worked as casual wage labour	1	2-3	1	&
Attend educational institution	37	86-0	21	16
attended domestic duties only	2	4-7	1	1
begging, prostitution, etc.	3	7-0	1	2
Total	43	100	24	19

Data Source unit Level Data form NSS 65th Round of Employment and Unemployment Situation in India 2008-09

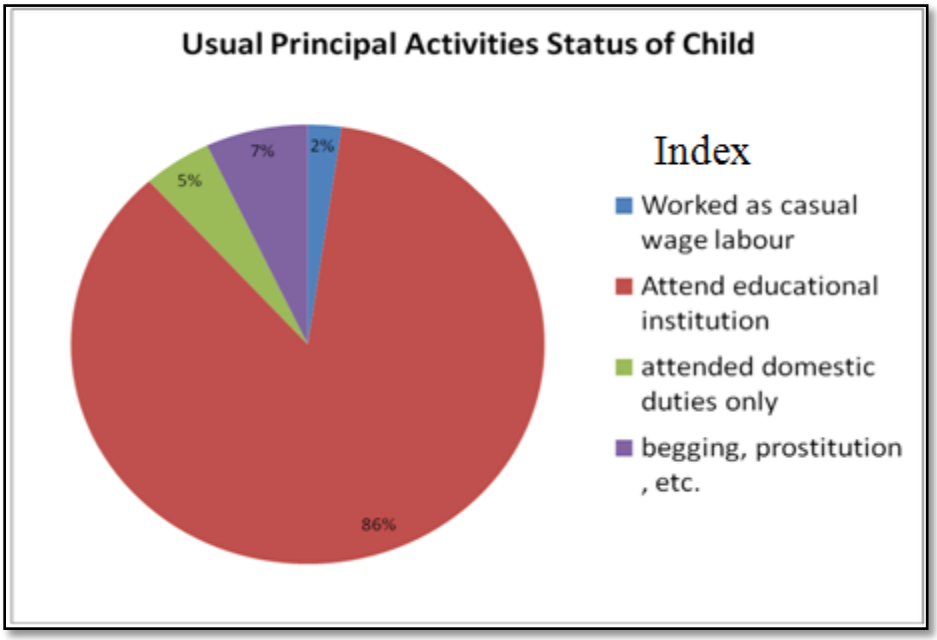

NSSO के द्वारा किये गये सैम्पल सर्वेक्षण में अलवर के शहरी क्षेत्र में 43 बच्चों का चयन किया गया। इनमें मज़दूरों की संख्या 1 थी, जो पुरुष वर्ग में सम्मिलित है तथा यह कुल का 2.3 प्रतिशत है। जो कुल बच्चे स्कूल जाते है उनकी संख्या 37 है जो कुल का 86 प्रतिशत है। इनमें लड़कों की संख्या 21 तथा लड़कियों की संख्या 16 है। घरों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या 2 है, ये कुल का 4.7 प्रतिशत है। इनमें लड़कों की संख्या 1 तथा लड़कियों की संख्या भी 1 है। भीख माँगने तथा देह व्यापार सम्बन्धित कार्यों में लगे बाल श्रमिकों को संख्या 3 है, ये कुल का 7 प्रतिशत है। इनमें लड़कों की संख्या 1 तथा लड़कियों की संख्या 2 है। आकड़ों के आधार पर कह सकत है कि भीख माँगने तथा देह व्यापार में लगे बाल श्रमिकों में लड़कियों की संख्या अधिक है।

Average Household Size (number of persons household)	Average Monthly Family income in rupees	Average House – hold Size (number of persons household)	Average Monthly per capita income in rupees
Worked as casual wage labour	3541.00	8.00	442.62
Attend educational institution	4618.11	6.22	742.44
attended domestic duties only	1800.50	5.50	327.36
begging, prostitution, etc.	2191.33	6.67	328.53
Total	4292.70	6.26	685.73

Data Source unit Level Data form NSS 65th Round of Employment and Unemployment Situation in India 2008-09

बाल श्रमिक परिवारों में आय तथा परिवार के औसत आकार सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि सर्वेक्षित 43 बच्चों के सैम्पल मे इनकी औसत मासिक आय 4292.70 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय 685.73 रुपये है तथा इनके परिवारों का औसत आकार 6.26 व्यक्ति है।

विभिन्न कार्यों में लगे इन बच्चों की पारिवारिक आय तथा औसत आकार निम्न प्रकार है :

मज़दूरी करने वाले (Casual Labour) बाल श्रमिक परिवारों की औसत आय 3541 रुपये ह, तथा प्रति व्यक्ति आय 442.62 रुपये है तथा परिवार का औसत आकार 8 व्यक्ति है। जो बच्च स्कूल जाते हैं उनमें परिवार की औसत आय 4618.11 एवं प्रति व्यक्ति आय 742.44 है तथा परिवार का औसत आकार 6.22 है। घरों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों में परिवार की औसत मासिक आय 1800.5 रुपये एवं प्रति व्यक्ति आय 327.36 है तथा परिवार का औसत आकार 5.50 व्यक्ति है। भीख माँगने तथा देह व्यापार सम्बन्धित कार्यों में लगे बाल श्रमिक परिवारों की औसत मासिक आय 2191.33 एवं प्रति व्यक्ति आय 328.53 है तथा परिवार का औसत आकार 6.67 व्यक्ति है।

इस प्रकार आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि जिन परिवारों में बच्चे स्कूल जाते है, उन परिवारों की औसत मासिक आय तथा औसत प्रति व्यक्ति आय अन्य परिवारों से अधिक है तथा इनके परिवार का औसत आकार भी छोटा है। अतः NSSO द्वारा बाल श्रमिकों पर किए गए सैम्पल सर्वेक्षण द्वारा पता चलता है कि अलवर शहरी क्षेत्र में परिवारों की कम औसत आय बाल श्रम के लिए जिम्मेदार है।

बाल श्रम सम्बन्धी कानूनी प्रावधान :

1. **1881 का कारखाना अधिनियम**
2. **1891 का कारखाना अधिनिय**
3. **1901 का कारखाना अधिनियम**
4. **1922 का कारखाना अधिनियम**
5. **बाल अधिनियम, 1933** : इसके अन्तर्गत 15 वर्ष की आयु के बच्चो को गिरवी रखने पर रोक लगा दी गई।
6. **1934 का कारखाना अधिनियम**
7. **1948 का कारखाना अधिनियम** : बाल श्रमिकों की आयु 14 वर्ष कर दी गइ। प्रति 15 दिनों में 1 दिन की छुट्टी तथा सालभर में 14 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई तथा रात्री में बाल श्रमिकों से काम लेने पर रोक लगा दी गई।
8. **1952 का भारतीय खान अधिनियम** : 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का खान में नीचे काम करने पर रोक लगा दी गई।
9. **बालश्रम कानून, 1986** : कुछ रोज़गारों जैस ज्वलनशील पदार्थ निर्माण, बीड़ी निर्माण उद्योग, डाक पर बालकों से काम लिया जाता है। उन्हें स्थानीय निरीक्षण को इसकी सूचना देनी पड़ती है तथा निर्धारित रजिस्टर रखना अनिवार्य है।

अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रम से सम्बन्धित समस्याएं :

1. **शिक्षा में बाधा** : अध्ययन क्षेत्र में शोध से ज्ञात होता है, कि वो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए है, उनमें शिक्षा का स्तर काफी कम है तथा उनमें अधिकांश अशिक्षित है। अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा लिए गए प्रतिचयनों में से 87 प्रतिशत अशिक्षित है, जबकि केवल 13 प्रतिशत ही शिक्षित हैं और उनमें से भी 11 प्रतिशत ने केवल प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण की है एवं केवल 2 प्रतिशत ने मिडिल शिक्षा प्राप्त की है। अध्ययन क्षेत्र में बाल श्रम मे कार्यरत बच्चों में से 94 प्रतिशत बाल श्रमिक स्कूल छोड़ चुके हैं।
2. बच्चों को असहनीय दशाआ में कार्य करना तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव।
3. बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधा।
4. सम्बन्धित कानूनों और सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ न मिल पाना।
5. बच्चों से काम करवाने से उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता में भी गिरावट आना।

बाल श्रमिकों के भावी विकास हेतु सुझाव :

वर्तमान मे बाल श्रम सम्बन्धित समस्या एक वैश्विक समस्या के रूप में, खासकर पिछड़े देशां में उभरकर सामने आ रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिये निम्न उपाय सुझाये जा सकते हैं :

1. हर व्यक्ति तथा स्वयसेवी संस्थाओं को खुले मन से प्रयत्न करना होगा और पूंजीपतियों पर अंकुश लगाना होगा।
2. सरकार द्वारा अपने द्वारा बनाये गए नियमों का सख्ती से पालन करवाना होगा।
3. बाल मज़दूरी के कारणों में ग़रीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, कम मज़दूरी दर आदि प्रमुख है। अतः विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यक्रमा का सीधा लाभ बाल मज़दूरों को दिलाने का प्रयास करना चाहिए।
4. ऐसे परिवार जो बाल मज़दूरा की कमाई पर निर्भर हो ऐसे ग़रीब परिवारों को स्वास्थ्य, पोषाहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कपड़े, गेहूं, चावल, करोसीन, गैस सिलेंडर आदि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. बाल श्रमिकों के पुनर्वास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।
6. व्यवसाय में बाल श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण देकर स्थानीय ग्रामीण बैंकों से ऋण दिलवाकर उनकी स्थिति मजबूत की जानी चाहिए।
7. स्कूल के पाठ्यक्रमों में बालश्रम उन्मूलन अध्याय को शामिल किया जाना चाहिए तथा रोज़गारपरक शिक्षा दी जानी चाहिए।
8. सरकार द्वारा काम करने की स्थितियों में सुधार किया जाए।
9. न्यूनतम मज़दूरी, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए।
10. विकास कार्यक्रम योजना का लाभ बाल श्रमिकों के परिवारों को दिया जाए।
11. असंगठित क्षेत्रो में बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाए।
12. बच्चों की रोटी, कपड़ा और मकान की अनिवार्य आवश्यकता सरकार द्वारा पूरी की जाए।
13. बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाये।

REFERENCES

1. Hazan, M Berdugo B. (2002), "Child Labour, Fertility and Economic Growth", The Economic Journal, Vol. 112, No. 482. (Oct.), pp. 810-828

2. Kak, Shakti (2004), "Magnitude and Profile of Child Labor in the 1990: Evidence from the NSS Data", Social Scientist, Vol. 32, No. 1/2 (Jan.-Feb.), pp. 43-73.

3. Singh, A.N. (1990) ,"Child Labour in India", Shirpa Publications, New Delhi.

4. Ahuja, R. ,(2001) Indian Social System, Rawat Publication, Jaipur.

5. Bezbaruah, S. and Janeja, M.K.,(2000), Adolescent in India- A profile UNFPA for UN System in India, New Delhi.

6. Burgess, R.L., "Child Abuse: A Social Interactional Analysis" in Advances in Clinical Child Psychology, Vol. 2, Plenum Press, New York, 1979.

7. Department of Family Welfare, Report., (2010) Reproductive and Child Healt Programme (RCHP) New Delhi.

8. Jejeebhoy, S.J., (1996), Adolescent Sexual and Reproductive Behaviour, A Review of Evidence from India.

9. NCERT REPORT., (1999), Adolescence Educating in

School (part-V) – 1999 National Council of Eductional Research and Training.

10. Stauss, M.A., "Family Patterns and Child Abuse", in Child Abuse and Neglect, 3, 1979.

11. United Nations., (2007), The Millennium Development Goals Report. United Nation, New York.